



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

F.NO.22-10/NRTS/2019-INC

Dated:-

31 DEC 2021

Notification

Sub:-Enrolment of all the Faculty Members/Students from all the Nursing Institution in the Nurses Registration and Tracking System (NRTS) who have NOT enrolled in NRTS.

Indian Nursing Council in association with all the State Nursing Registration Councils (SNRCs) implementing NRTS across the country to achieve a "Live Register of Nurses". As envisaged by National Health Authority (**Ayushman Bharat Digital Mission**), Ministry of Health and Family Welfare, this will become one of the key components of this mission. Therefore all the trained Nurses are directed to enrol themselves into NRTS.

Accordingly, it is decided that all the Nursing Institutions who are seeking the suitability under Section 13 & 14 of the INC Act 1947 have to mandatorily enroll their Faculty Members and Students of P.B.B.Sc. (N), M.Sc. (N), NPCC and Post Basic Diplomas in the NRTS and get their Nurses Unique Identity Number (NUID) from the respective SNRCs. For enrolling in the NRTS the Faculty Members/Students can enroll by logging into NRTS portal (<https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in/login.nic>) and upload the required documents such as all the certificates, photograph and Aadhar Authentication through OTP received on Aadhar linked mobile number. NUID number of faculty members and students as mentioned above is mandatory requirement for the proposals to the suitability be accepted for the year **2022-2023**.

Therefore, henceforth all the Nursing institutions may make it mandatorily to obtain NUID No. for the faculty before they join their institutions and also make existing faculty to obtain their NUID No. without fail.

Yours faithfully,

(K S Bharati)

Joint Secretary

Circulation

1. Vice Chancellor of All Universities
2. Registrar, All State Nursing Councils
3. Principal of All Schools/Colleges of Nursing
4. INC Website

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

फा.सं. 22-10/एनआरटीएस/2019-आईएनसी

दिनांक: 3-1-DEC-2021

अधिसूचना

विषय:- ऐसे सभी नर्सिंग संस्थानों के सभी संकाय सदस्यों/छात्रों का नर्स पंजीकरण तथा ट्रैकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) में नामांकन के संबंध में, जिन्होंने अभी तक एनआरटीएस में नामांकन नहीं कराया है

भारतीय उपचर्या परिषद् "नर्सों का लाइव रजिस्टर" तैयार करने के लिए, सभी राज्य उपचर्या पंजीयन परिषदों (एसएनआरसी) के सहयोग से देश भर में नर्स पंजीकरण तथा ट्रैकिंग सिस्टम (एनआरटीएस) लागू कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परिकल्पना के अनुसार, यह इस मिशन के प्रमुख घटकों का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। इसलिए सभी प्रशिक्षित नर्सों को एनआरटीएस में अपना नामांकन कराने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी नर्सिंग संस्थानों, जो भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947 की धारा 13 तथा 14 के तहत उपयुक्तता प्राप्त करना चाहते हैं, को अनिवार्यतः अपने सभी संकाय सदस्यों और पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग), एम.एससी. (नर्सिंग), एनपीसीसी तथा पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्रों का नामांकन एनआरटीएस में कराना होगा और संबंधित एसएनआरसी से उनका नर्स यूनिफ़ॉर्म आइडेंटिटी नंबर (एनयूआईडी) लेना होगा। सभी संकाय सदस्य/छात्र एनआरटीएस में नामांकन के लिए एनआरटीएस पोर्टल <https://nrts.indiannursingcouncil.gov.in/login.nic> पर लॉग इन करके नामांकन कर सकते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ तथा आधार प्रमाणीकरण आधार से लिंक हुए आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार, वर्ष 2022-2023 के लिए उपयुक्तता के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए संकाय सदस्यों और छात्रों का एनयूआईडी नंबर होना अनिवार्य है।

अतः, अब से सभी नर्सिंग संस्थानों द्वारा अपने संस्थानों में नए संकाय सदस्यों के लिए सेवाभार ग्रहण करने से पहले, और साथ ही संस्थानों में पहले से कार्यरत सभी संकाय सदस्यों के लिए एनयूआईडी नंबर लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

भवदीया,



के.एस. भारती
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति
2. सभी राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार
3. सभी नर्सिंग स्कूल/कॉलेज के प्रधानाचार्य
4. भारतीय उपचर्या परिषद् की वेबसाइट

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत

Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in

Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822